FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम.......................भरतपुर...

.....श्रीयाराम...........बनाम.........जीतेन्द्र सिंह..................किस्म मुकदमा...........223........नम्बर....34.......सन..2001...

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.07.2018	अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित हुए, उन्होनें प्रकरण में NO INSTRUCTION निवेदन किया। रैस्पो0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से दिनांक 29.12.2017 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। इसके पश्चात् उभयपक्ष के अभिभाषकगण न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं एवं पत्रावली बहस हेतु निर्धारित है, इस स्थिति में कानूनी बिन्दुओं पर ही बहस सुनानी है, जो अधिवक्ता स्वयं के द्वारा की जानी है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता का NO INSTRUCTION कहना, इस प्रसंग में अर्थहीन है क्योंकि अधिवक्ता को अपने पक्षकार से हिदायत मांगने योग्य कोई बिन्दु, है ही नहीं यदि तर्क के लिए कोई बिन्दु पक्षकार से हिदायत लेना आवश्यक माना भी जाए, तो भी अभिभाषक ने इसके लिए कोई प्रयास किए हों, इस बाबत् अभिभाषक अपीलाण्ट ने कोई कथन नहीं कहा है। इस प्रकार यह प्रकरण अदालत में पैरवी करने से मना करने जैसा ही है। ऐसी स्थिति में हम इस अपील को अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज करना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। **(अनिल कुमार वार्ष्णेय)** **भू प्रबन्ध अधिकारी** **पदेन** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **भरतपुर**	L.C. पत्रावली सहायक कलक्टर उच्चैन को फाइल/787 21.8.18 द्वारा भेजी गई